

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9 / 2019

जयपुर, दिनांक : 21 नवम्बर, 2020

आदेश

कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा जिलों में कोविड-19 के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2020 द्वारा जारी की गई गाईडलाईन्स में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नांकित गाईडलाईन्स जारी की जाती है:-

समारोह आयोजन (Gatherings):-

A. यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक/जन कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ राज्य के संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाता है तो जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये निम्न शर्तों के अध्यक्षीन अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

1. आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
2. सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
3. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो-मास्क नो-एंट्री" की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे।
5. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।

रात्रि कर्फ्यू

- B. उक्त 8 जिलों (कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा) के जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सायं 7 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टॉफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8.00 बजे तक अपने घर पहुंच जाये, जब तक कि इस हेतु जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

यह गाईडलाईन्स निम्नांकित पर लागू नहीं होगी:-

1. वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
 2. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
 3. आई.टी. कम्पनियां।
 4. कैमिस्ट शॉप।
 5. अनिवार्य एवं अपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
 6. विवाह सम्बन्धी समारोह।
 7. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
 8. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
- इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्य स्थल पर उपस्थिति

- C. उक्त 8 शहरों की नगरीय सीमा में स्थित सभी कार्यस्थलों पर (राजकीय, स्वायत्त शासी, निजी कार्यालय इत्यादि) जहां कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, 75 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं 25 प्रतिशत कार्मिक Work From Home करेंगे।

यह गाईडलाईन्स शासन सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव, उप सचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

यह गाईडलाईन्स जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय, अस्पताल एवं चिकित्सा संबंधी संस्थापन एवं अन्य आवश्यक एवं अपातकालीन सेवाओं पर भी लागू नहीं होगी।

- D. मेडिकल महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय 1 दिसम्बर, 2020 से खोले जायेंगे। इसके लिए पृथक से गाईडलाईन्स जारी की जायेंगी।

उपरोक्त वर्णित आदेशों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

अन्य सभी गाईडलाईन्स और दिशा-निर्देश राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2020 (प्रति संलग्न) के अनुरूप प्रभावी रहेंगे।

(एन. एल. मीना)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव, गृह